न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/00053

1. गोपाल पुत्र श्री रामनाथ जाति जाट निवासी ग्राम ठीकरिया कला तहसील बून्दी हाल तालेडा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. भूली बाई बेवा गोपाल जाति जाट वयस्क निवासी ठीकरिया कलां तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
   1/2. मोहनी पुत्री गोपाल पत्नी हीरालाल जाति जाट वयस्क निवासी ठीकरिया कलां तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
   1/3. काली बाई पुत्री गोपाल पत्नी मोहनलाल जाट वयस्क निवासी ठीकरिया कलां तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
   1/4. तेजमल पुत्र गोपाल जाट वयस्क निवासी ठीकरिया कलां तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
   1/5. कालू लाल पुत्र श्री गोपाल जाट वयस्क निवासी ठीकरिया कलां तहसील तालेडा जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/5/1. लीला बाई पत्नी कालू लाल वयस्क जाति जाट निवासी ठीकरिया कलां तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
   1/5/2. गिरिराज पुत्र कालूलाल वयस्य जाति जाट निवासी ठीकरिया कलां तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
   1/5/3. प्रियंका पुत्री कालूलाल आयु 15 वर्ष अवयस्क द्वारा नैसर्गिक संरक्षक माता लीलाबाई पत्नी कालूलाल जाट निवासी ठीकरिया कलां तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
   1/5/4. पूजा पुत्री कालूलाल आयु 12 वर्ष अवयस्क द्वारा नैसर्गिक संरक्षक माता लीलाबाई पत्नी कालूलाल जाट निवासी ठीकरिया कलां तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
   1/6. तीजू बाई पुत्री गोपाल पत्नी महावीर जाति जाट वयस्क निवासी ग्राम सहसपुरिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
   1/7. मोहनलाल पुत्र गोपाल जाति जाट वयस्क निवासी ठीकरिया कलां तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
   1/8. मदन लाल पुत्र गोपाल जाटि जाट वयस्क निवासी ग्राम ठीकरिया कला तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. कल्याण पुत्र श्री रामनाथ जाति जाट वयस्क निवासी ग्राम ठीकरिया कला तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
2. सूरज मल पुत्र श्री रामनाथ जाति जाट वयस्क निवासी ठीकरिया कलां तहसील तालेडा जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. औंकार पुत्र सूरजमल जाति जाट वयस्क निवासी ठीकरिया कलां तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
   2/2. गोविन्द पुत्र सूरजमल जाति जाट वयस्क निवासी ठीकरिया कलां तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
   2/3. रामजानकी पुत्री सूरजमल जाति जाट वयस्क निवासी ठीकरिया कलां तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
3. रामकरण पुत्र श्री रामनाथ जी जाति जाट वयस्क निवासी ठीकरिया कलां तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
4. श्रीमती सरजू पुत्री श्री रामनाथ जाति जाट वयस्क निवासी अस्तोली ठीकरिया कला तहसील तालेडा जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   4/1. भंवर लाल पुत्र श्री खाना जी माता का नाम सरजू बाई जाति जाट वयस्क निवासी ग्राम जलोदी तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
   4/2. पंसूरी पुत्री खाना जी पत्नी रेखलाल माता का नाम सरजू बाई जाति जाट निवासी ग्राम सरस्वती का खेडा तहसील एवं जिला बून्दी ।
   4/3. बसंती पुत्री खाना जी माता का नाम सरजू बाई वयस्क जाति जाट निवासी ग्राम अस्तोली तहसील एवं जिला बून्दी ।
   4/4. मंजू पुत्री खाना पत्नी भंवर लाल माता का नाम सरजू बाई जाति जाट वयस्क निवासी रामनगर जाटान तहसील एवं जिला बून्दी ।
   4/5. राजेश पुत्री खाना पत्नी लक्ष्मण माता का नाम सरजू बाई जाति जाट वयस्क निवासी ग्राम जलोदी तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
   4/6. कांति बाई पत्नी बद्रीलाल माता का नाम सरजू बाई जाति जाट वयस्क निवासी ग्राम अस्तोली तहसील एवं जिला बून्दी ।
   4/7. भोला शंकर पुत्र श्री बद्रीलाल माता का नाम सरजू बाई जाति जाट वयस्क निवासी ग्राम अस्तोली तहसील एवं जिला बून्दी ।
   4/8. राजेन्द्र पुत्र श्री बद्रीलाल माता का नाम सरजू बाई जाति जाट वयस्क निवासी अस्तोली तहसील एवं जिला बून्दी ।
   4/9. लोकेश पुत्र बद्रीलाल, बद्रीलाल की माता का नाम सरजू बाई वयस्क जाति निवासी ग्राम अस्तोली तहसील एवं जिला बून्दी ।
5. कल्याणी पुत्री रामनाथ जाति जाट पत्नी श्री रघुनाथ वयस्क निवासी गोपालपुरा तहसील अन्ता जिला कोटा ।
6. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् कलक्टर, बून्दी ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तालेडा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री मदन लाल जैन, कमल कुमार, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महेन्द्र शर्मा, श्री संजय राजवंशी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 19.02.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.01.2020 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 01 कल्याण ने अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम ठीकरिया कला तहसील व जिला बून्दी में स्थित आराजी कुल 13 किता रकबा 23 बीघा 02 बिस्वा एवं अन्य भूमियों के साथ एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन किये जाने का कथन किया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 18.06.2013 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दिया ।

4. तत्पश्चात् पक्षकारान ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 09.08.2018 को लिखित में राजीनामा प्रस्तुत कर राजीनामा अनुसार वाद डिक्री करने का कथन किया ।

5. तत्पश्चात् वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दिनांक 27.11.2019 को पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 09.08.2018 को पेश राजीनामा स्वीकार नहीं है क्योंकि यह राजीनामा गैर कानूनी तरीके से पेश किया गया है वादी को यह नहीं बताया गया कि राजीनामा में क्या लिखा है । वादी से यह कहा गया है कि अंतिम डिक्री हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है । प्रार्थी को राजीनामा के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया । उक्त राजीनामा से प्रार्थी सहमत नहीं है । अतः दिनांक 09.08.2018 को प्रस्तुत राजीनामा को तस्दीक न किया जावे और खारिज किया जावे ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.01.2020 के द्वारा हुए राजीनामा दिनांक 09.08.2018 को खारिज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का आदेश पारित किया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.01.2020 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 02 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि आदेश 23 नियम 3 सीपीसी के प्रावधान स्पष्ट है कि पक्षकार राजीनामा कर सकते हैं और न्यायालय द्वारा

उन्हें राजीनामा कानून विरूद्ध न लगे तो तस्दीक कर निर्णय पारित करना चाहिए । न्यायालय पक्षकारों की साक्ष्य लेकर यह निर्णित करेगा कि किस समय राजीनामा हुआ अथवा नहीं । राजीनामे को न्यायालय में पेश करने के बाद तस्दीक किये जाने में विलम्ब इस सम्बन्ध में कोई कारण नहीं बनता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.01.2020 निरस्त फरमाया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि रामनाथ जी के 04 पुत्र हुए सूरजमल, गोपाल, कल्याण, रामकरण थे उनके दो पुत्रियॉ सरजू बाई एवं कल्याणी बाई । सूरजमल और गोपाल का निधन हो चुका है । कलयाण जी के द्वारा एक दावा उपखण्ड अधिकारी, बून्दी के यहॉ पेश किया गया था जिसका निर्णय दिनांक 18.06.2013 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी के द्वारा पारित किया गया था। प्रारम्भिक डिक्री के अधीन अंतिम डिक्री बनाने की कार्यवाही चल रही थी इसी बीच पक्षकारों के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया । राजीनामे में तत्समय जीवित सभी पक्षकारों ने अपने हस्ताक्षर कर दिये । दिनांक 09.08.2018 को वादी ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर यह प्रार्थना की राजीनामा तस्दीक कर निर्णय पारित किया जावे । दिनांक 24.08.2018 को प्रतिवादी क्रम 01 ने राजीनामा को निरस्त करने का प्रार्थना पत्र पेश किया और 27 पेशियों के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.01.2020 पारित करते हुए राजीनामे का निरस्त करने का आदेश पारित किया गया । आदेश 23 नियम 03 सीपीसी के प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखते हुए प्रतिवादी संख्या 01 के कथन को बिना साक्ष्य लिये स्वीकार कर लिया गया है जो त्रुटिपूर्ण है । राजीनामे के अनुसार अंतिम डिक्री पारित की जानी चाहिए थी जो नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.01.2020 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में एआईआर 2017 (छत्तीसगढ) पेज 45, आरआरडब्ल्यू 1990 (2) पेज 223 उद्वरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि राजीनामा कूटरचित है न्यायालय द्वारा तस्दीक नहीं किया गया है, राजीनामा विधिक नहीं है और धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई अपील मेन्टेनेबल नहीं है क्योंकि धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत तृतीय शिड्यूल में अंकित प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश प्रार्थना पत्र और 104 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्रों की ही अपील पेश की जा सकती है । इस कारण से यह अपील मेन्टेनेबल नहीं है । अपीलान्टगण को रिवजीन पेश करना चाहिए । परीक्षण न्यायालय को यह अधिकार है कि राजीनामा विधिक है अथवा नहीं इसका परीक्षण करे और उसके उपरान्त विधि सम्मत निर्णय पारित करे । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.01.2020 बहाल रखा जावे ।

11. विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने रिबटल में कथन किया कि धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपील मेन्टेनेबल है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में एक राजीनामा दिनांक 09.08.2018 को पक्षकारान के द्वारा पेश किया गया है और दिनांक 09.08.2018 को कल्याण वादी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश कर राजीनामे को तस्दीक किये जाने की प्रार्थना की गई है और दिनांक 27.11.21019 को वादी कल्याण और रामकरण प्रतिवादी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश कर यह कथन किया गया है कि इस राजीनामे से वादी सहमत नहीं है । दिनांक 24.08.2019 को सूरजमल की ओर से भी आपत्ति पेश की गई है और कथन दिया है कि राजीनामे को खारिज किया जावे । एक प्रार्थना पत्र दिनांक 11.03.2019 को रामकरण के द्वारा भी पेश किया गया है और लिखा गया है कि दिनांक 09.08.2018 के राजीनामे को तस्दीक किया जावे । एक प्रार्थना पत्र कल्याण की ओर से भी दिनांक 11.03.2019 को पेश किया गया है और प्रार्थना की गई है कि राजीनामे को खारिज किया जावे । एक प्रार्थना पत्र दिनांक 27.03.2019 को रामकरण के द्वारा पेश किया गया है जिसमें यह कथन किया गया है कि दिनांक 11.03.2019 के प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावे और पूर्व में पेश किये गये राजीनामे के अनुसार दावे का निस्तारण किया जावे । एक प्रार्थना पत्र दिनांक 27.03.2019 को कल्याण ने पेश किया है जिसमें यह कथन किया गया है कि दिनांक 11.03.2019 के प्रार्थना पत्र को खारिज कर राजीनामे के अनुसार निरस्तारण किया जावे ।

13. अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.01.2020 के माध्यम से राजीनामे को अस्वीकार करते हुए प्रारम्भिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु तहसीलदार तालेडा को निर्देशित किया गया है। इस आदेश के खिलाफ अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपील इस न्यायालय में पेश की गई है । धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपील तृतीय शिड्यूल में अंकित प्रार्थना पत्र, धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पारित निर्णय और धारा 104 सीपीसी के तहत पारित निर्णय के खिलाफ की जा सकती है । यह निर्णय धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पारित नहीं किया गया है और न ही यह आदेश तृतीय शिड्यूल में वर्णित आदेश अथवा 104 सीपीसी के तहत अंकित आदेश के खिलाफ पेश किया गया है । तद्नुसार परीक्षण न्यायालय के इस आदेश के खिलाफ धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत यह अपील मेन्टेनेबल नहीं है । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट के द्वारा उद्वरत नजीर इन तथ्यों के आधार पर इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है । अपीलान्ट माननीय राजस्व मण्डल में अपीलाधीन निर्णय के खिलाफ रिवीजन पेश करने के लिए स्वतंत्र है ।

15. निर्णय आज दिनांक 19.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

19/2/2021

(भागवती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा